

क्रमांक: एफ 7(4)अकाद/आकाशि/Online/रिफ्रेशर/2023/396

प्राचार्य,
संबंधित राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय:- ऑनलाईन रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने की अनुमति बाबत
संदर्भ:- विभाग के पत्रांक एफ 7 (4) यू.जी.सी/अकाद/आकाशि/2020/1265 दिनांक 02.11.2020


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ऑनलाईन रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने हेतु निम्नलिखित सह/सहायक आचार्यों को अनुमति जारी की जाती है-

क्र.स.	नाम सह/सहायक आचार्य/श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ	विषय	महाविद्यालय का नाम	कोर्स जिसमें भाग लेना चाहते हैं।	कोर्स की अवधि	संस्थान जहाँ से कोर्स किया जाना है।
1	सुमित घसिया	रसायनशास्त्र	राज.कन्या महा. सीकर	रिफ्रेशर	17.01.2023 से 30.01.2023 तक	देवी अहिल्या वि.वि. इन्दौर
2	सुनीता चौधरी	रसायनशास्त्र	राज.पी.जी.महा. साँभरलोक	रिफ्रेशर	23.01.2023 से 06.02.2023 तक	रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली
3	भावना	इतिहास	नेहरू मे.मो. राज. महा., हनुमानगढ़	रिफ्रेशर	23.01.2023 से 06.02.2023 तक	रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली
4	पूजा छीपा	विधि	राज.विधि. पी.जी. महा.बीकानेर	रिफ्रेशर	23.01.2023 से 06.02.2023 तक	रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली
5	मनीषा सिंह	विधि	राज. विधि महा, भरतपुर	रिफ्रेशर	07.01.2023 से 21.01.2023 तक	रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली
6	मनोरंजन सिंह	लोकप्रशासन	राज.कला.महा.,कोटा	रिफ्रेशर	17.01.2023 से 30.01.2023 तक	गुरु नानक देव वि.वि. अमृतसर

उक्त कोर्स में भाग लेने के लिए सह/सहायक आचार्यों को अनुमति देने से पूर्व प्राचार्य निम्नलिखित निर्देशों की पूर्ण पालन सुनिश्चित करें :-

1. प्राचार्य केवल उन सह/सहायक आचार्यों को कार्यमुक्त करें जिन्हें सी.ए.एस. के तहत कोर्स करना आवश्यक हो।
2. संबंधित सह/सहायक आचार्यों ने यदि सी.ए.एस. के तहत वरिष्ठ/चयनित/पे-बैंड IV के लिये आवश्यक कोर्स कर रखे हैं तो वे प्राचार्य को लिखित में सूचित करें कि उन्हें कोर्स की आवश्यकता नहीं है। जो सह/सहायक आचार्य तथ्य छुपाकर कार्यमुक्त होंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। प्राचार्य द्वारा कार्यमुक्त किये गये सह/सहायक आचार्य द्वारा कोर्स में भाग नहीं लेने पर संबंधित सह/सहायक आचार्य के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ उस तिथि के पश्चात एक वर्ष तक कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
3. बेवसाईट प्रभारी को अपलोड करने हेतु।


(डॉ शैला महान)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)